

FORM NO. 03

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

अनवान


पटवारी हल्का नारायणखेड़ा


बनाम

तहसीलदार रायपुर

किस्म मुकदमा धारा 131 भू राजस्व अधिनियम

मु0न0 03 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
18 ⁸ / ₂₀₂₀	<p>राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के आदेश क्रमांक दिनांक 06.08.2020 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक :- एफ 12-12 (04) (रास्ता खोलो अभियान) राजस्व/2020/2095 दिनांक 06.08.2020 की पालना में माह अगस्त 2020 में पंचायत समिति स्तर प्रत्येक शुक्रवार को केम्प आयोजित कर राज्य सरकार आदेश दिनांक 10.08.2016 एवं जिला कार्यालय के पत्रांक दिनांक 30.07.2020 से रास्ते सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण हेतु पालना की जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।</p> <p>पंचायत समिति स्तर पर आयोजित केम्प में तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रकरण पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तेज्याखेड़ी के खसरा नम्बर 392 रकबा 0.17 है0 राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है किन्तु उक्त खसरा नम्बर रास्ते के उपयोग में आ रहा है जिसे राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाना है साथ में रिपोर्ट पटवारी भू.अ.नि. नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न रिपोर्ट पटवारी भू.अ.नि. एवं नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम तेज्याखेड़ी से खुटियां जाने वाले रास्ता ग्राम तेज्याखेड़ी की आराजी नम्बर 392 रकबा 0.17 है0 किस्म बिलानाम जो रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है जिसको बिलानाम गो.मु. रास्ता दर्ज किया जाना उचित है।</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
	<p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का बारीकी से अध्ययन किया तो पाया कि पटवारी, भू.अ.नि. एवं तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम तेज्याखेड़ी से खुटिया जाने वाला रास्ता दो गांवों को जोड़ रहा है जो रास्ता ग्राम तेज्याखेड़ी की बिलानाम आराजी नम्बर 392 रकबा 0.17 है० में होकर जा रहा है उक्त आराजी सार्वजनिक रूप से रास्ते के उपयोग में आ रही है अगर उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज होने से किसी अन्य प्रयोजन हेतु आवंटित/आरक्षित कर दी जाती है तो आमजन को परेशानी हो सकती है रास्ता बाधित हो सकता है मौके पर जो भूमि जिस रूप में काम आ रही उसका उसी रूप में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज होना आवश्यक है ताकि रेकार्ड और मौके की स्थिति में एकरूपता बनी रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत पत्र को स्वीकार किया जाना उचित है।</p> <p>अतः राज्य सरकार के राजस्व (गुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज- /2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अनुसार तहसीलदार रायपुर के प्रस्तुत पत्र क्रमांक: राजस्व/ 2020/03/20 दिनांक 14.08.2020 के अनुसार आदेश दिया जाता है कि ग्राम तेज्याखेड़ी के बिलानाम आराजी नम्बर 392 रकबा 0.17 है० भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  18.8.2020 (सुन्दरलाल काश्याड़ा) R.A. उपखण्ड अधिकारी रायपुर (मौलवाडा) </p>	